न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:–196/2020 (GCMS No. 2020/00196) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. अजीतसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जाति वघेला निवासी मौहल्ला गडरपुरा धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
2. श्रीमती आभा शरीन पत्नी श्री विवेक शरीन जाति खाती निवासी भामतीपुरा धौलपुर।

..........अपीलान्ट्स

बनाम

1. केदारसिंह पुत्र श्री दंगलसिंह जाति वघेला निवासी ग्राम अल्हेपुरा तहसील व जिला धौलपुर।

......असल रेस्पोडेन्ट

2. ग्राम पंचायत लुहारी जरिये सरपंच।

......तरतीवी रेस्पोडेन्ट

न्यायालय अति संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 24.03.2014 उपखण्ड अधिकारी धौलपुर अपील संख्या 6/2013 उनवानी केदार सिंह बनाम ग्राम पंचायत व अन्य बावत् नामान्तकरण संख्या 57 दिनांक 05.06.77 वांके ग्राम सांडा तहसील धौलपुर।

उपस्थिति:–

1. अपीलान्ट्स की ओर से श्री अमित सिंह वघेला, वकील

नि र्ण य दिनांक : 13.10.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 24.03.2014 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित नामांतरकरण संख्या 57 दिनांक 05.06.77 नियमन आदेश के आधार पर स्वीकार किया गया है। उक्त नियमन आदेश आज तक बदस्तूर है। किसी भी सक्षम

अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर

न्यायालय ने उक्त नियमन आदेश को निरस्त नहीं किया है। ऐसी सूरत में मुताबिक कानून जब कोई दाखिल खारिज किसी सक्षम आदेश के आधार पर खोला गया है तो उस दाखिल खारिज को निरस्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि असल आदेश निरस्त न हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश बिना अपीलार्थी को तलब किये व सुने व एकतरफा कार्यवाही पारित किया गया। अपीलार्थी के पिता के हक में किये गये नियमन आदेश के विरूद्ध हरप्रसाद ने प्रार्थना पत्र 14 नियम 4 आवंटन नियम 1970 के तहत न्यायालय जिला कलक्टर में प्रस्तुत किया जो अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा दिनांक 01.04.2009 के निरस्त किया गया तथा नियमन आदेश को बहाल रखा गया जिसके विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की और नियमन आदेश आज भी अस्तित्व में है। असल रेस्पो. स्वच्छ हाथों से नहीं आया है बल्कि अदालत को धोखा देते हुये असल तथ्यों को छुपाकर आलोच्य आदेश पारित करा लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत की गई बेरून मियाद अपील को बिना किसी आधार के स्वीकार किया है जो उसके द्वारा 38 वर्ष बाद प्रस्तुत की है। नियमन की गई आराजी चारागाह नहीं है बल्कि सिवायचक बारानी है जो नियमन/आवंटन योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2014 से नामांतरकरण संख्या 57 को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरवी हेतु श्री दुलीचंद शर्मा एडवोकेट ने हाजिर अदालत आकर वकालतनामा पेश किया। दिनांक 18.07.2018 को रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुये। पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में जाने और उसके बाद पुनः आने पर रेस्पोडेन्ट नं. 1 पर्याप्त तामील के बाद भी उपस्थित नहीं हुये।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की अपील पर बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपने अपील मीमो एवं लिखित बहस व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित तथ्यो को मौखिक रूप से दोहराते हुये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की ओर ध्यान दिलाते हुये दलील दी कि हाल आराजी ख.नं. 208 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा, 230 रकवा 03 बीघा 07 विस्वा कुल 2 रकवा 4 बीघा 18 विस्वा वांके ग्राम सांडा तहसील व जिला धौलपुर जिसके साविक खसरा नम्बर 222/1 रकवा 4 बीघा 10 विस्वा, 225 रकवा 1 बीघा 02 विस्वा थे, का जरिये नामांतरकरण संख्या 57 अपीलांट नं. 1 के पिता अमरसिंह पुत्र छत्रपालसिंह जाति गडरिया निवासी धौलपुर के पक्ष में नियमन तारीख 03.05.1971/23.07.1971 के आधार पर गैर खातेदारी अपीलांट नं. 1 के पिता

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अमरसिंह को प्रदान की गई। इसके विरूद्ध रेस्पो. नं. 1 केदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के यहां अपील दायर की जिसमें नामांतरकरण की कार्यवाही संबंधी आदेश पारित करने का अधिकार ग्राम पंचायत के स्थान पर तहसीलदार के पास होना अंकित किया और लंबे समय तक नामांतरकरण ग्राम पंचायत के पास होना बताया और भूमि गैर मुमकिन चारागाह व रास्ता भूमि बतायी जिसका नियमन व आवंटन नहीं होता है। रेस्पो. केदार ने तामील कुनिंदा से साठगांठ कर फर्जी रूप से अजीतसिंह के विरूद्ध तामील कराई तथा उसके आधार पर एकतरफा कार्यवाही अमल में ली जाकर उपखण्ड अधिकारी धौलपुर ने दिनांक 24.03.2014 का आदेश मौजूदा अपील के अपीलांट अजीतसिंह के विरूद्ध पारित किया। इस आदेश दिनांक 24.03.2014 में पारित निर्णय अपीलांट अजीतसिंह को बिना सुने एकतरफा में पारित किया गया जिसमें अजीतसिंह को न तो सुना गया न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त हुआ। अपीलांट के पिता अमरसिंह के गैर खातेदार व काबिज काश्त रहने पर उन्हें नियमानुसार 10 वर्षों से भी अधिक समय बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये और इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए। अमरसिंह की मृत्यु के बाद विरासतन खातेदारी उसके पुत्र अजीतसिंह अपीलांट को प्राप्त हुई। अपीलांट अजीतसिंह पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से अपीलांट अजीतसिंह के पिता अमरसिंह एवं उनके उपरान्त स्वयं अजीतसिंह अपीलाधीन आराजी के खातेदार बिना किसी बाधा के दर्ज रहे और इतनी लम्बी अवधि के दौरान किसी प्रकार की कोई आपत्ति अपीलाधीन आराजी के बारे में नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय में केदारसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील में उसका स्वत्व व हित निहित नहीं है व न ही कभी रहा जबकि नामांतरकरण के विरूद्ध जो अपील प्रस्तुत की जाती है उसमें अपीलांट का किसी न किसी रूप में स्वत्व व हित निहित होना अतिआवश्यक है। इसके अलावा अपीलांट अजीतसिंह के पिता अमरसिंह के पक्ष में नियमन आदेश तहसीलदार धौलपुर के द्वारा पारित किया गया था और इसी नियमन आदेश के आधार पर नामांतरकरण संख्या 57 अमरसिंह के पक्ष में स्वीकृत हुआ जो किसी भी प्रकार से अविधिमान्य व नियम विरूद्ध नहीं है। यदि एक बार अधीनस्थ न्यायालय की इस फाईडिंग को– कि नामांतरकरण पर निर्णय पारित करने का अधिकार ग्राम पंचायत को न होकर तहसीलदार को है, मान भी लिया जावे तो ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय की अपील अधीनस्थ न्यायालय नहीं सुन सकता है न ही उसे सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार उपलब्ध है जैसाकि धारा 75 डी–एल.आर.एक्ट से स्पष्ट है कि इस संबंध में न्यायिक दृष्टांन्त 1969 आरएलडी पेज 544 व 1970 पेज 465 हैं। अपीलाधीन नामांतरकरण के 120 दिन लम्बित रहने का कारण अपीलांट नं. 1 के पिता अमरसिंह द्वारा आवश्यक कागजात की पूर्ति

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

करना था। इस प्रकार विवादित नामांतरकरण स्वीकार करने में किसी प्रकार की अविधिमान्यता नहीं की गई है और नियमानुसार ही नामांतरकरण स्वीकार किया गया। गत खसरा नम्बर 222/1 जमाबंदी संवत् 2023–26 में भूमि की किस्म हारखाकी दर्ज है। इस प्रकार गत खसरा नम्बर 225/1 व 225/2 जमाबंदी संवत् 2023–26 में किस्म ऊसर दर्ज है। इस प्रकार विवादित नामांतरकरण में अंकित भूमि न तो गैर मुमकिन चारागाह है न ही रास्ता भूमि है। विवादित भूमि पूर्ण रूप से नियमन किये जाने योग्य थी और इसीलिए अमरसिंह को विनियिमन किया गया। नामांतरकरण संख्या 57 नियमन आदेश के आधार पर दर्ज किया गया है और नियमन आदेश आदिनांक तक बदस्तूर है। न तो नियमन आदेश को चेलेन्ज किया गया है और किसी भी सक्षम न्यायलय द्वारा नियमन आदेश को निरस्त नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में नामांतरकरण को निरसत नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. केदारसिंह ने क्लीन हैण्ड से न आकर तथ्य छुपाकर धोखे में रखकर न्यायालय से निर्णय पारित करवाया। जबकि केदारसिंह को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी थी कि अपीलांट के पिता के हक में किये गये नियमन आदेश के विरूद्ध हरप्रसाद नाम के व्यक्ति द्वारा एक प्रार्थना पत्र नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे बाद में दिनांक 01.04.2009 को निरस्त फरमा कर नियमन आदेश को बहाल रखा जिसके विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जिससे उक्त नियमन आदेश कन्फर्म हो चुका है। इसलिए उक्त नियमन आदेश कन्फर्म हो चुका है जिससे नामांतरकरण संख्या 57 को निरस्त नहीं किया जा सकता है। हरप्रसाद द्वारा प्रार्थना पत्र नियम 14(4) खारिज होने पर उसने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के यहां एक रेफ्रेंस अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट पेश किया जिसे बाद में राजवीरसिंह द्वारा विड्रा कर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. नं. 1 द्वारा प्रस्तुत की गई अपील जो कि बैरून मियाद पेश की गई है को बिना किसी आधार के स्वीकार किया है। रेस्पो. नं. 1 द्वारा नियमन आदेश एवं नामांतरकरण आदेश के करीब 50 वर्षों बाद प्रस्तुत की है और रेस्पो. नं. 1 द्वारा देरी को क्षमा करने का मात्र यह आधार रखा है कि नियमन की आराजी चारागाह है जिसका नियमन नहीं किया जा सकता है और इसे कभी भी आक्षेपित किया जा सकता है। जबकि जमाबन्दी से स्पष्ट होता है कि नियमन की गई आराजी चारागाह नहीं है बल्कि सिवायचक बारानी है जो आवंटन/नियमन के योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना न्यायिक विवेक इस्तेमाल न करते हुये रिकार्ड के विपरीत मनमर्जी से आलोच्य निर्णय पारित किया। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम दिनांक 10.06.2014 को जानकारी तब

अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर

हुई जब असल अप्रार्थी ने गांव में धमकी दी और कहा कि अब उक्त आराजी मुतनाजा कर काश्त नहीं करने देगा क्योंकि उसने दाखिल खारिज को कलक्टर के यहां निरस्त करा लिया है। तब दिनांक 11.06.2014 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया दिनांक 12.06.2014 को नकल प्राप्त होने पर बिना विलंब अपील पेश कर दी। फिर भी देरी को क्षमा किये जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न है। अतः अपील में हुई देरी को माफ किया जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1998 पेज 445, आरआरडी 1996 पेज 232, आरआरडी 1986 पेज 595, आरआरटी 2008 पेज 835, आरएलआर 1996(1) पेज 116, आरएलडब्ल्यू 2008(1) आरजे पेज 640, आरआरसी 1999 पेज 97 (एससी), आरआरसी 1999 पेज 97 (एससी), आरआरडी 1998 पेज 367, आरआरडी 1995 पेज 156, आरआरडी 1996 पेज 501, 2021(2)डीएनजे (Rev) पेज 975, 2019 आरबीजे पेज 77, 2018 आरबीजे पेज 539 (एससी), 2020 आरबीजे पेज 648 एवं 2017 आरबीजे पेज 31 प्रस्तुत किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.03.2014 को अपास्त किया जाकर नामांतरकरण संख्या 57 वांके ग्राम सांडा को बहाल किया जावे एवं नामांतरकरण संख्या 57 पर लगाये गये निरस्ती के नोट को भी हटवाया जावे।

5. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा माननीय न्यायालय के प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2014 की जानकारी अपीलांट को 10. 06.2014 को हुई थी और उसने इसके बाद दिनांक 12.06.2014 को नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश की। इस संबध में यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा कार्यवाही में पारित हुआ है तथा अपीलांट के इस कथन पर भी विश्वास नहीं करने का कोई औचित्य नहीं लगता है क्योंकि उसने अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र दिया है। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने विभिन्न निर्णयों में मयाद के संबध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया है ताकि कोई भी पक्ष अनसुना नहीं रहे और प्रकरण उभयपक्ष की सुनवाई के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर निर्णित हो। इस प्रकार अपीलांटस द्वारा अपील पेश करने में की गई देरी की अवधि को न्यायहित में माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद अवधि शुमार की जाती है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.03.2014 का अवलोकन करने पर पाया

कि यह निर्णय एकपक्षीय रूप से सुना जाकर पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध सम्मन/नोटिस के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पो. सं. 2 अजीतसिंह की विधिवत तामील ही नहीं होना पायी जाती है। अपीलाधीन आदेश में नामांतरकरण संख्या 57 को निरस्त कर तहसीलदार धौलपुर को उभयपक्ष की सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। नामांतरकरण संख्या 57 में तहसीलदार धौलपुर के आदेश 77 ऐ यू दिनांक 03.05.1971/23.07.1971 के अनुसार अमरसिंह वल्द छत्रपालसिंह कौम गडरिया सा. धौलपुर के नाम गैर खातेदारी का दाखिल खारिज दर्ज हुआ है और इसमें भूमि " सिवायचक लगानी " दर्ज पायी जाती है। नामांतरकरण को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की होती है और उन्होंने ग्राम पंचायत के समक्ष पेश कर ही इसे स्वीकार करवाया जबकि उनको यदि अवधि बीत चुकी थी तो तहसीलदार के समक्ष निर्णय हेतु पेश करना चाहिए था और तत्समय किसी का इस संबध में काई आक्षेप उठाना भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। विवादित भूमि हाल आराजी ख.नं. 208 मिन रकवा 1 बीघा 10 विस्वा बारानी दोयम व 230 रकवा 3 बीघा 07 विस्वा बारानी दोयम सिवायचक लगानी है और उनके साबिक खसरा नम्बरान 222/1 रकवा 4 बीघा 10 विस्वा व 225 रकवा 1 बीघा 02 विस्वा है। जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 में आराजी ख.नं. 222/1 रकवा 4 बीघा 10 विस्वा की किस्म हारखाकी पायी जाती है। जमाबंदी संवत् 2066–2069 में हाल आराजी ख.नं. 230 की किस्म बारानी दोयम अंकित पायी जाती है। जमाबंदी संवत् 2011–14 में आ. ख.नं. 222/1 व 224 काबिल जरायत व किस्म हरखाकी दर्ज है जहां चारागाह या रास्ते का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता है। अपीलांट नं. 1 अजीतसिंह जरिये रजिस्टर्ड वयनामा आ.ख.नं. 1171/208 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा वांके ग्राम सांडा का बेचान अपीलांट नं. 2 आभा सरीन को दिनांक 01.06.2006 को किया था और उसके आधार पर अपीलांट नं. 2 का नाम जमाबंदी में दर्ज पाया जाता है। उक्त रिकार्ड से यह स्पष्ट होता है कि नामांतरकरण दर्ज करते समय विवादित भूमि सिवायचक लगानी थी और भूमि का नियमन हुआ है। इसलिये ऐसा कहना कि आवंटन/नियमन गलत हुआ है सरासर गलत होगा क्योंकि राजस्व एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही नियमान्तर्गत ही की गई होगी। इस आवंटन/नियमन को निरस्त कराने हेतु हरप्रसाद नामक व्यक्ति ने भी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के यहां प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत वर्ष 2008 में पेश किया गया था जो ऐसी स्थिति में (38 वर्ष की अवधि पूर्ण होने) इतनी लम्बी अवधि बाद जबकि आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। आवंटन नियमों के नियम 14(4) के अन्तर्गत

आवंटन को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं मानते हुये प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के यहां पर चले उक्त मामले में भी प्रार्थी हरप्रसाद ने अपीलाधीन आदेश में उठाये गये आक्षेपों को रखा था जिनपर बाद सुनवाई निर्णय प्रार्थी हरप्रसाद के विरूद्ध पारित होकर अपीलांट अजीतसिंह के पिता के आवंटन/नियमन/खातेदारी को सही ठहराया है। जहां तक रेस्पो. की अधीनस्थ न्यायलय में लगायी गई अपील नामांतरकरण के विरूद्ध है जबकि अपीलांट के पिता अमरसिंह के आवंटन के निरस्त हुऐ बिना नामांतरकरण पर कोई रोक लगाना या उसको निरस्त करना न्यायोचित नहीं है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि अमरसिंह पुत्र छत्रपालसिंह को दिनांक 03.05.1971 को आवंटन किया गया था तथा नियम 14(4) 1970 का प्रार्थना पत्र हरप्रसाद द्वारा लगभग 38 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। इतने लम्बे समय के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने को कोई औचित्य नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जानी है तो तत्काल की दी जानी चाहिए अन्यथा लम्बे समय के पश्चात् उस व्यक्ति को कृषि भूमि पर हक व अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें तकनीकी आधार पर निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में भी स्पष्ट किया है कि आवंटित भूमि के ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किये गये नामांतरकरण के आधार पर प्राप्त खातेदारी को लम्बे समय बाद खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसी प्रकार नामांतरकरण स्वीकार होने के लम्बे समय बाद खातेदारी प्राप्त करने व भूमि पर लगातार काबिज होने पर किसी के हकों को लम्बे समय बाद प्रश्नांकित नहीं किया जा सकता है। आवंटी को खातेदारी अधिकार अर्जित होने के लम्बे समय बाद केवल काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अधीन ही बेदखल किया जा सकता है न कि नियम 14(4) के अन्तर्गत। इसके अलावा रेस्पो. केदारसिंह कोई पीडित व्यक्ति भी नहीं है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में उसके पीडित होने का कोई कारण भी नहीं बताया है जिससे उसको अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश करने का अधिकार भी नहीं बनता था। इसके साथ ही 1969 आरआरडी पेज 544 व आरआरडी 1970 पेज 565 में स्पष्ट है कि – Gram panchayat passed a mutation order against which first appeal shall lie to the collector under section 75 (d) of Raj. LR Act 1956 किन्तु मौजूदा प्रकरण में हम पाते हैं कि अपील सक्षम न्यायालय में न की जाकर रेस्पो. द्वारा उपखण्ड अधिकारी के यहां प्रस्तुत की जो विधि विरूद्ध थी। इस प्रकार हम विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा दी गई दलीलों से पूर्णतया सहमत है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत भी मौजूदा प्रकरण में उनके मददगार साबित

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर

हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटस की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. फलस्वरूप अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी धौलपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2014 खारिज किया जाता है तथा दाखिल खारिज संख्या 57 दिनांक 05.06.1977 वांके ग्राम सांडा तहसील धौलपुर बदस्तूर रखा जाता है। अपील फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। आज दिनांक 13.10.2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशु राम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नोट:-

आदेशिका दिनांक 26.10.23 की पालना में इस निर्णय की पृष्ठ संख्या-1 के पद संख्या-1 में अति. जिला कलक्टर स.मा. के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी धौलपुर पढ़ा जावे। इसी प्रकार पृष्ठ संख्या-6 पर पद संख्या-5 में 77 ए.यू. के स्थान पर 77 रेम्यू पढ़ा जावे।

26/10/2023

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर